

बि.र. ई.ई. नं. २७, पृष्ठ १५३

३३८३

अधिकारी का प्रयोग करते हुए राजस्वगत महोदय विनियमित
 इलेक्ट्रिक एक्सीजिजम अधिकारी की उक्त एजेंट के तारीख को १९४८
 के तारीखों का प्रादिक के तारीख उल्लिखित जितने में प्रयोग करने
 के लिये अधिकृत करते हैं यह तक कि वे, अपने तैयार एक्सीजिजम
 अधिकारी के घर पर निवृत्त रहें :-

द्वन्द्व विभाग

ਬੁਢੀ

६. गणेश, १९५५ ई०

क्र.सं-संके	अधिकारी का नाम	जिला
१	श्री भन्ना प्रसाद	बनारस
२	" प्रिभोक्त सिंह	बैतुआर
३	" कृष्ण हंस	बारा
४	" रत्नानाथ शर्मा	मोहरा

२४ फरवरी, १९५५ ई०

[illegible]

५३ अगस्त, १९५४ ई०

- सं. १९२० (२) / १४-६० (१) - ५५ - कायभा. पक्ष करने
 की तारीख को भी अंग्रेज, बी. एफ. एस., कनिस्ट्रक्टर कारर-
 मेटर साक काररेट्ट को भी कारर. एस. गोरोगा, बी. एफ. एस.
 के स्थान पर, जिसको सुट्टी दी गई है, स्थानापन्न किया गया है।
 साक काररेट्ट, बी. एफ. एस. काररेट्ट किसीन नियुक्त किया जाता है।

विविध

• ५३ प्रगति, १९५५ ई०

✓ प्र- १२-१/१४-उत्तर प्रदेश के राजधानी मजदूर का कर्तव्य है कि हिंदीयन कांग्रेस ऐक्ट, १९२७ (पृष्ठ १०-१६, १९३७) की धारा २६ की उपधारा (१) के प्रथम अंश के अंतर्गत गौर अभिव्यक्ति तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस बीच में राज्य सरकार के अधिकारों के धारित होने की आशा है।

संसार के अधिकारों के धारित होने की धारणा है।
 प्रत्यय मय बहु उपद्रुत उपपारा के प्रविष्टप्रत्ययक तंत्र द्वारा तथा उपद्रुत ऐश की मारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की
 उपपारा (१) द्वारा प्रदाय अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी व्याख्या की है और अभिलेख संवर होने तक उक्त ऐश के संघर्ष के विदेश दातसे संलग्न
 समझी में निरिष्ट भूमि पर लागू प्रभावित करने हैं।
 अध्यायी

અનુભૂતો

क्र.सं.	सूची का नाम जो माहौलीय गुण-स्तर परीक्षण के माध्यम से तय्यार करने योग्य हो गई है	श्रिता	लड़क की लम्बाई मोती से	सीमा का प्रयोग
१	दंड डंक रोड, मोती ५६२/० से लेकर मोती ६६२/० तक	कामपुर	मो० क० फी० ७१ ० ०	नजदीक की सुरक्षा के लिए या सीमेंट के लिए या लाईनों द्वारा उस पर की गई है।
२	कामपुर-काली-सड़क, मोती ५२/० से लेकर मोती ६६/० तक	"	५४ ० ०	"
३	कामपुर-हमीरपुर सड़क, मोती २/० से लेकर मोती ११/० तक	"	१७ ० ०	"
४	मोहरनाथ रोड, मोती ११६/० से मोती १७३/० तक	"	५४ ० ०	"
५	सखनज-कामपुर सड़क, मोती ० से लेकर मोती ५६/२-१४० फीट तक	सखनज और जमान	५६ १ १४०	"
६	सखनज-बरेली सड़क मोती ० से लेकर मोती १५२/० तक	सखनज, सीतापुर साहू-जमान, बरेली	१५२ ० ०	"
७	सखनज-कलकत्ता सड़क, मोती ० से लेकर मोती १००/० तक	सखनज, रामपुर, बरेली, प्रतापगढ़	१०० ० ०	"
८	सखनज-मुजफ्फरपुर सड़क, मोती ० से लेकर मोती ८५/१-२२८ फीट तक	सखनज, रामपुर, बरेली, भागलपुर और मुजफ्फरपुर	८५ १ २२८	"
९	सखनज-कलकत्ता सड़क, मोती ० से लेकर मोती ७६/२-१६६ फीट तक	सखनज, बाराबंकी और फर्रुखाबाद	७६ २ १६६	"

प्रतिहरसाक्षरित

प्रभागीय निवेदन

॥० वा० प्रभु प्रभाव

Executive Engineer

क्रम सं०	भूमि का नाम और भारतीय मूल ऐक्ट परिचालन के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई हैं	जिला	तहसील की सम्बाई मीलों में	संख्या का वर्णन
----------	---	------	------------------------------	-----------------

१०	हलाहाबाद-फांजाबाद सड़क, मील ०।० से लेकर मील ६।० तक	हलाहाबाद, प्रतापगढ़, मुस्तागपुर, फांजाबाद	६० फ० की०	१८ ६ ५१३ जमीन की खसती पर या सीमेंट के स्तंभों या लाइनों द्वारा जल खनार की गई है।
११	बाराबंकी-वह्रामघाट सड़क, मील ०।० से लेकर मील २५।० तक	बाराबंकी	२५ ० ०	"
१२	सोतापुर-जहांगीराबाद सड़क, मील ०।० से लेकर मील २५।० तक	सोतापुर	२५ ० ०	"
१३	मेरठ-बरेली सड़क (तिराय रामपुर स्टेट के), मील ३४।० से लेकर मील ५६।५-३०० फीट तक और मील १०६।७-६८ फी० से लेकर मील १२६।० तक	मुरादाबाद और बरेली	७४ ६ २३२	"
१४	बरेली-मथुरा सड़क मील, ०।० से लेकर मील ५०।० तक	बरेली और मथुरा	५० ० ०	"
१५	बरेली-अल्मोड़ा सड़क, मील ०।० से लेकर मील ६३।० तक	बरेली और नैनीताल	६३ ० ०	"
१६	बरेली-पोलीभीत सड़क, मील ०।० से लेकर मील ३३।० तक	बरेली और पोलीभीत	३३ ० ०	"
१७	पोलीभीत-टनरपुर सड़क, मील ३३।० से लेकर मील ६२।० तक	पोलीभीत और नैनीताल	२६ ० ०	"
१८-(अ)	जोधा-विजयनगर सड़क, मील १६।० से लेकर मील ७८।६ तक	मुरादाबाद और विज- नगर	५९ ६ ०	"
१८-(ब)	विजयनगर-रावली सड़क, मील ०।० से लेकर मील ७।० तक	मुरादाबाद और विज- नगर	७ ० ०	"

सं० ३२०८ (२)/१४-इंडियन फॉरेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा ३० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रक्षित वनों (protected forests) में जो दिनांक २३ अगस्त, १९५५ की विज्ञप्ति संख्या ३२०८/१४ द्वारा इस रूप में प्रख्यापित किए गये थे, लगे हुये और बढ़ते हुये देशों के निम्नलिखित वर्गों को इस विज्ञप्ति के दिनांक से सुरक्षित (reserved) प्रख्यापित करते हैं:-

वृक्षों के नाम

१-बबूल	२२-बरगद
२-खैर	२३-गूलर
३-झरू	२४-पाकड़
४-सफेद सिरिस	२५-नीपल
५-हल्दी	२६-कंया
६-काला सिरिस	२७-गम्हार या खमार
७-नीम	२८-कंजु या पापड़ी
८-रदम	२९-सागौन
९-रियोज	३०-बोरंग
१०-बाकली	३१-भामे
११-महुआ	३२-बकन
१२-कचदार	३३-नीम जमेली
१३-सेमल	३४-सुत
१४-टाक	३५-मोससरो
१५-प्रमनतास	३६-सागौन
१६-तुन	३७-अमोक्ष
१७-लसोड़ा	३८-विलायती बबूल
१८-विलायती शोशम सितसाल	३९-छोकर
१९-शोशम	४०-गोख मोहर, गुल मोहर
२०-मूक सिस्ट	४१-कंजी
२१-जामुन	४२-खजूर

३६६ फी० तक

संशोधन

२२ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३६६४/१४-४५८-५४-१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-संवर्धन अधिनियम (१९५१) का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १) की धारा ११७ के द्वितीय-प्रतिबंध से मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में प्रवर्णित क्षेत्र को जो ११ अक्टूबर, १९५२ की विज्ञप्ति सं० ६१७/१४ के अधीन गांव-समाज में निहित हुआ था, वापस लेते हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूमि का क्षेत्रफल
उन्नाव	हसनगंज	सालोडर	मं. इमपुर	६६ एकड़
		प्रजागन		

प्रतिहस्ताक्षरित

फांजाबाद